31/1/24 याचिकाकर्ता अधि० प्रार्थी के निवेदन पर दिनांक 12 तलब होकर पेश हुई। अधि० प्रार्थी अपने प्रार्थना में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। फर्द अदालत पर Not Press अंकित कर निस्तारित किया गया। याचिका का अवलोकन किया। सुना किया। अधि० प्रार्थी स्वयं अपने प्रार्थना में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अधि० प्रार्थी का निर्देशित रद्दीकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधि० प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार होता है। अधि० प्रार्थी का विरोध में आदेश किया जाता है। [illegible] की [illegible] इनाज की जाकर बाद [illegible] डाकिलेखपाल [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh
Date: 2024.02.12 16:33:05 IST
Reason: SelfAttested

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
सादुली 31/1/24

Not press by me